		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
5.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुनः मजिद बहस सुनी गई वाद वादी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगू को दिजावे। पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 8·7·25 को पेश हो।	
8·7·25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक...... 1....9....25 को पेश की जावे	
1-9-25	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 24-11-25 को पेश की जावे	
24·11·25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई पूर्व मे, प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई, वकील वादी ने अपनी बहस मे फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया। दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बेगू को दिजावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

...ा संख्या :– 71/2022

अनिता पत्नी श्यामलाल मीणा निवासी बरूंदनी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा

वादीया

बनाम

1. कैलाश पिता लालु मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. कालू पिता उदा मीणा निवासी निवासी बरूंदनी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. चोतमल पिता लालू मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. छाउ पुत्र मोहनी मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. प्यारचंद पिता रतना मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. बालू पिता उदा मीणा निवासी बरूंदनी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
7. सम्पति पिता उदा मीणा निवासी बरूंदनी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
8. श्रवण पुत्र मोहनी मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
9. सोनिया पिता लालु मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
10. हिरा पुत्र मोहनी मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
11. भूमिधारी तहसीलदार सा0 बेगूं

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री एल.आर.कुमावत
अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक :– 24.11.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह कि वादीया का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा मक्खनगंज प0ह0 बिछोर में निम्न कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 10 के पैतृक स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या	आराजी सं0	क्षैत्रफल(हैक्टर)
16	168	0.1100
	186	0.2900
	कीता–2 रकबा	0.4000 हैक्टर

यह कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में वादीया का 11/39 हक हिस्स निहित होकर मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रही है। उक्त कृषि आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है, जिससे वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन भूमि के हिस्से एवं लगान को लेकर विवाद होता रहता है जिसके स्थायी समाधान हेतु वादीया ने प्रतिवादीगण को दिनांक 27.7.22 को तहसील बेगूं में चलकर आपसी सहमति से उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीया का विभाजन कराने बाबत कहा किन्तु प्रतिवादीगण ने वादीया को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और बटवाडा कराने से इंकार हो गये। इसलिए वादीया ने यह उक्त वर्णित कृषि भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का हिस्सानुसार मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विभाजन किये जाने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

वाद कारण दिनांक 27.07.22 को उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करती है:–

(क) कि वाद पत्र में अंकित खाता संख्या 16 में वर्णित मौजा मक्खनगंज पटवार हल्का बिछोर तहसील बेगूं के खताा संख्या 16 में अंकित आराजी संख्या 168, 186 कीता–2 रकबा 0.4000 हैक्टर मे वादीया का 11/39 हक हिस्स का मौके पर स्थित कब्जा अनुसार मौके पर बंटवाडा व राजस्व रेकार्ड में बाद विभाजन वादीया का हिस्सा प्रतिवादीगण से पृथक पृथक किये जाने की डिक्री वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ख) कि वाद व्यय व अधिवक्ता शुल्क आदि वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावें।

वादीया का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 तक बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रतिवादी सं0 11 भूमिधारी प्रकरण में फोरमल पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कये जाने पर जवाब बंद किया जाने के पश्चात वादीया अनिता पत्नी श्यामलाल के साक्ष्य वादी में बयान कलमबद्व करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। तथा न्यायालय द्वारा दस्तावेज के अवलोकन करने एवं बहस अधिवक्ता की सुने जाने के पश्चात दिनांक 27.5.2025 को वादीया का वाद पत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश दिया गया :–

"अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 राज0 का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र में अंकित मौजा मंखनगंज प0ह0 बिछोर तह0 बेगूं के खाता सं0 16 में अंकित आराजी सं0 168, 186 में वर्णित आराजीयात में वादी का 11/39 हक हिस्सा एवं शेष हि0 जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

तु तहसीलदार वेगूं को 1500/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा क डिकी किया जाकर डिकी की प्रति तहसीलदार वेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्तावत तैयार करते हुए मूल शाट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में आगामी तारीख 8.7.25 से पूर्व पेश करें। यह प्राथमिक डिकी आज नांक 27.5.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।"

उपरोक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार वेगूं को प्राथमिक डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाते हुए निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिक डिकी में वर्णित कृषि आराजीयात का वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति इस न्यायलय मे प्रस्तुत करें। उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार वेगूं ने अपने पत्र कमांक /राजस्व/2025/293 दिनांक 13.10.2025 के साथ विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ तथा पर्चामौका रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय में प्रेषित किये। प्राप्त फर्द वंटवारा रिपोर्ट पर वहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुनी गई।

प्राप्त फर्द वंटवारा रिपोर्ट पर वहस अधिवक्ता वादीया द्वारा की जाकर प्राप्त विभाजन रिपोर्ट प्राथमिक डिकी अनुसार होने से वादीया का वादपत्र स्वीकार करते हुए अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि को राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने का निवेदन अपनी वहस में किया है। इस प्रकार प्राप्त फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा मक्खनगंज प0ह0 बिछोर की कृषि भूमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नलिखितानुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

1– वादीया– श्रीमति अनिता पत्नि श्यामलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा सा0 बरून्दनी खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
168 मे से	0.0900
186 मे से	0.0170
योग 2	0.1070हैक्टर

2– प्रतिवादीगण–1– श्री कैलाश पुत्र लालु हिस्सा 13/336 मीणा सा.रामपुरिया खातेदार
2– श्री कालू पुत्र उदा हिस्सा 13/84 जाति मीणा सा. बरून्दनी खातेदार
3– श्री चौतमल पुत्र लालु हिस्सा 13/336 जाति मीणा सा0 रामपुरिया खातेदार
4– श्रीमति छाउ पुत्र मोहनी हिस्सा 13/112जाति मीणा सा0 रामपुरिया खातेदार
5– श्री प्यारचन्द पुत्र रतना हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा0 देह
6– श्री बाबू पुत्र उदी हिस्सा 13/84 जाति मीणा सा. बरून्दनी खातेदार
7– श्री श्रवण पुत्र मोहनी हिस्स 13/112 जाति मीणा सा.बरून्दनी खातेदार
8– श्रीमति सम्पति पुत्री उददी हिस्सा 13/84 जाति मीणा सा.बरून्दनी खातेदार
9– श्रीमति सोनिया पुत्री लालु हिस्सा 13/336 जाति मीणा सा0 रामरिया खातेदार
10– श्री हिरा पुत्र मोहनी हिस्सा 13/112 जाति मीणा सा0 रामपुरिया खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
186 मे से	0.2730 हैक्टर
योग किता–1 रकबा	0.2730 हैक्टर

3 – श्री कैलाश पुत्र लालु हिस्सा 1/36, चौतमल पुत्र लालू हिस्सा 1/36, छाउ पुत्र मोहनी हिस्सा 1/12, श्रवण पुत्र मोहनी हिस्स 1/12, सोनिया पुत्री लालु हिस्स 1/36, हिरा पुत्र मोहनी हिस्सा 1/12 जाति मीणा सा0 रामपुरिया खातेदार श्रीमति अनिता पत्नि श्यामलाल हिस्स 11/39, कालु पुत्र उदी हिस्सा 1/9, बावु पुत्र उदी हिस्सा 1/9, सम्पति पुत्री उदी हिस्सा 1/9 जाति मीणा सा0 बरून्दनी प्यारचद पुत्र रतना हिस्स 2/39 जाति मीणा सा0 देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
168 मे से	0.0200 हैक्टर
योग किता–1 रकबा	0.0200 हैक्टर

उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) वेगूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 71 / 2022
अनिता पत्नी श्यामलाल मीणा निवासी वरूंदनी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
वादीया

बनाम

1. कैलाश पिता लालु मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. कालू पिता उदा मीणा निवासी निवासी वरूंदनी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. चोतमल पिता लालू मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. छाउ पुत्र मोहनी मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. प्यारचंद पिता रतना मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. बाबू पिता उदा मीणा निवासी वरूंदनी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
7. सम्पति पिता उदा मीणा निवासी वरूंदनी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
8. श्रवण पुत्र मोहनी मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
9. सोनिया पिता लालु मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
10. हिरा पुत्र मोहनी मीणा निवासी रामपुरिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
11. भूमिधारी तहसीलदार सा0 वेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री एल.आर.कुमावत की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीया का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताविक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा मक्खनगंज प0ह0 बिछोर की कृषि भूमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नलिखितानुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

1– वादीया– श्रीमति अनिता पत्नि श्यामलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा सा0 बरून्दनी खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
168 मे से	0.0900
186 मे से	0.0170
योग 2	0.1070हैक्टर

2– प्रतिवादीगण–1– श्री कैलाश पुत्र लालु हिस्सा 13/336 मीणा सा.रामपुरिया खातेदार
2– श्री कालू पुत्र उदा हिस्सा 13/84 जाति मीणा सा. बरून्दनी खातेदार
3– श्री चौतमल पुत्र लालु हिस्सा 13/336 जाति मीणा सा0 रामपुरिया खातेदार
4– श्रीमति छाउ पुत्र मोहनी हिस्सा 13/112जाति मीणा सा0 रामपुरिया खातेदार
5– श्री प्यारचन्द्र पुत्र रतना हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा0 देह
6– श्री बाबू पुत्र उदी हिस्सा 13/84 जाति मीणा सा. बरून्दनी खातेदार
7– श्री श्रवण पुत्र मोहनी हिस्स 13/112 जाति मीणा सा.बरून्दनी खातेदार
8– श्रीमति सम्पति पुत्री उददी हिस्सा 13/84 जाति मीणा सा.बरून्दनी खातेदार
9– श्रीमति सोनिया पुत्री लालु हिस्सा 13/336 जाति मीणा सा0 रामरिया खातेदार
10– श्री हिरा पुत्र मोहनी हिस्सा 13/112 जाति मीणा सा0 रामपुरिया खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
186	0.2730 हैक्टर
योग किता–1 रकवा	0.2730 हैक्टर

3– सामलाती में – श्री कैलाश पुत्र लालु हिस्सा 1/36, चौतमल पुत्र लालू हिस्सा 1/36, छाउ पुत्र मोहनी हिस्सा 1/18, श्रवण पुत्र मोहनी हिस्स 1/12, सोनिया पुत्री लालु हिस्स 1/36, हिरा पुत्र मोहनी हिस्सा 1/12 जारति मीणा सा0 रामपुरिया खातेदार श्रीमति अअनिता पत्नि श्यामलाल हिस्स 11/39, कालु पुत्र उदी हिस्सा 1/9, बाबु पुत्र उदी हिस्सा 1/9, सम्पत्ति पुत्री उदी हिस्सा 1/9 जाति मीणा सा0 बरून्दनी प्यारचन्द्र पुत्र रतना हिस्स 2/39 जाति मीणा सा0 देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
168	0.0200 हैक्टर
योग किता–1 रकवा	0.0200 हैक्टर

उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 946 दिनांक :– 26/11/25

दावा संख्या 71 / 2022 व अनवान अनिता बनाम कैलाश वगै. वाद अ.धा.53 आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री वास्ते पालनार्थ तहसीलदार वेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)